कुमार विकल की कवितायें

खतरा

जब तब अखबारों में
.कीमतों के और बढ़ने की खबर आती हैं
और घर के छोटे-छोटे खर्चों को लेकर
मेरी पत्नी और मेरे दरम्यान
गृह-युद्ध शुरू हो जाता है
तो देश की सरहदों पर
दुश्मनों की फौजें खड़ी कर दी जाती हैं-
देश खतरे में है
चीज़ों की बढ़ती कीमतों को भूल जाओ
राशन की दुकानों पर लंबी कतारों की ओर मत देखो
देखो सिर्फ देश की सरहदों पर तैनात दुश्मनों की फौजों को

तुम्हारे गृह-युद्ध से देश को इतना खतरा है
जितना दुश्मनों की फौजों से
तुम अपनी पत्नी को समझा क्यों नहीं सकते
अपने खर्चे कुछ घटा क्यों नहीं सकते
मसलन, बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ दो
पढ़ने लिखने में क्या रखा है
जबकि तुम्हारे वर्ग का हर बच्चा
हाथ-पांव के धंधों में बहुत पक्का है
अपने मेहनतकश बच्चों को घर का बोझ उठाने का प्रोत्साहन दो
और खुद देश की सरहदों की ओर ध्यान दो

ध्यान

देश की सरहदों की ओर तो जाता है
लेकिन हर बार
रास्ते से लौट आता है
और श्वास रोग से पीड़ित पत्नी के साथ
घर की रसोई में उलझ जाता है

मेरी आंखों में दोपहर के भोजन का लालच है
लेकिन रसोई का चूल्हा मुझे लजाता है
अलबत्ता बच्चे 'दोपहर का भोजन' कर रहे हैं
बासी रोटियों को लेकर आपस में लड़ रहे हैं
साथ में मां की हड्डियों को चबा रहे हैं
एक आदमी को गालियां सुना रहे हैं

मेरा ध्यान पत्नी की हड्डियों
और बच्चों की गालियों की ओर जाता है

लेकिन हर बार
देश की सरहदों पर लौट आता है
जहां दुश्मन की फौजें तैनात हो चुकी हैं
और देश खतरे में है।

दीवारें इतनी ऊंची उठ चुकी हैं
कि इनके भीतर
तुम केवल अपनी आवाज़ की अनुगूंज ही सुन पाओगे।
और जब दीवारों से अपना सिर टकराओगे
तो अपनी हथेली पर
अपना ही खून पाओगे।
इस तरह खून बहाने से कोई फायदा नहीं
अपनी सुरक्षा के चक्रव्यूह में
मारा गया आदमी
कभी शहादत नहीं पायेगा
इतिहास के पन्नों में याद नहीं किया जायेगा

इतिहास अंधा नहीं होता
इतिहास देखता है
इंतज़ार करता है
इतिहास बड़ा क्रूर होता है
लेकिन एक बहादुर मां की ममता सा मजबूर होता है
समय है कि तुम अब भी
अपनी चीख को
एक खतरनाक छलांग में बदल डालो

जब तुम अपने घायल शरीर को लेकर
इन दीवारों से बाहर आओगे
तो हज़ारों लाखों ममता भरे हाथ
अपनी सुरक्षा के लिए पाओगे
और जब
इन दीवारों के रहस्यतंत्र को
तोड़ने के लिए
हज़ारों लाखों फावड़ों के बीच
तुम अपना पहला फावड़ा उठाओगे
तो इतिहास की विशाल बाहों को
अपने लिए खुला पाओगे

राजमार्ग से सटे दुकानदार सरकार द्वारा आतंकित

बल्लबगढ़ (म.मो.) पिछले करीब 20 वर्षों से राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बैठे सैंकड़ों दुकानदारों को सरकार ने सड़क चौड़ी करने के नाम पर आतंकित कर रखा है। ये दुकानदार बाकायदा अपनी खरीदी हुई ज़मीनों पर पिछले 40-50 बरसों से बैठे हैं। और ये दुकानें बाकायदा सरकार की स्वीकृति से,राजमार्ग नियम के अनुसार सड़क से 100-100 फीट दूरी पर हैं। इसके बावजूद सरकार इन दुकानदारों को लगातार आतंकित किये हुए है।

यह ठीक हे कि सड़क पर वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि के चलते सड़क को चौड़ा करना जरूरी है, लेकिन यही क्या जरूरी है कि सड़क को दुकानदारों की ओर ही बढ़ाया जाये, इसे दूसरी ओर भी तो बढ़ाया जा सकता है, जहां केवल फ़ैक्ट्रियों के गेट ही पीछे करने पड़ेंगे? इसके अलावा इसी सड़क के दोनों ओर सर्विस लेन का भी तो प्रावधान है, जिसके तहत केवल एक ओर ही आधी-अधूरी सड़कें बनाई गई हैं और उन पर भी सरकार ने कब्ज़े करवा रखे हैं। क्यों नहीं सरकार इन सड़कों को दुरुस्त एवं चलने लायक बना कर राष्ट्रीय राजमार्ग की भीड़ को घटाती?

विदित है कि हरियाणा के सभी राजमार्ग शहरों के बीच से निकलते हैं, इन्हें चौड़ा करने के लिए कभी किसी शहर को उजाड़ा नहीं गया, बल्कि राजमार्ग को ही शहर के बाहर बाईपास बना कर गुजारा गया है, तो बल्लबगढ़ में ही सरकार को शहर उजाड़ने की धुन क्यों सवार है? क्या यहां के निवासियों को सरकार कुछ ज्यादा ही कमज़ोर मान कर चल रही है? यदि ऐसा है तो यह सरकार की भारी भूल साबित होगी जो सरकार को काफ़ी महंगी पड़ सकती है।

पिछले 20 वर्षों से सरकार जितना ध्यान इन लोगों को उजाड़ने पर लगा रही है, यदि उतना ध्यान बाईपास बना देने पर लगा देती तो समस्या न हल हो जाती। विदित है कि पिछले 25 साल से बन रहा बाईपास (बदरपुर से सेक्टरों व नहर के साथ चल कर कैली गांव तक) यदि समय पर बना दिया गया होता तो आज यह स्थिति न आ खड़ी होती।

लेकिन यहां सरकारों की प्राथमिकता जनता को सुविधायें प्रदान करने की अपेक्षा परेशान करना है ताकि जनता स्थानीय नेताओं की जी-हजूरी कर के उन्हें नेतागिरी चमकाने व जेबें भरने का मौका दे।

यह तो हद है

'जितने का बबुआ नहीं, उतने का झुनझुना।' यह कहावत चरितार्थ होती है भोपाल गैस त्रासदी के उन पीड़ितों का मुआवज़ा देने के लिए गठित एक आयोग पर जिनके मामले का निपटारा अभी तक नहीं हो सका है। 'द इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित एक ख़बर के अनुसार आयोग ने अपने आप पर जनवरी से सितंबर, 2009 तक 3 करोड़ 46 लाख रुपये खर्च किये जबकि पीड़ितों को महज़ 47 लाख मुआवज़ा देने की अनुशंसा की गई।

जनता के धन की लूट का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। साथ ही इस तथाकथित जनतांत्रिक व्यवस्था में जनता के साथ यह कितना बड़ा भद्दा मज़ाक है, इसे लोग़ आसानी से समझ सकते हैं। यह लुटेरों की बेशर्मी की हद है। इस लूट ने पूरी व्यवस्था को नंगा कर के रख दिया है।

गौरतलब है कि अपने आप में यह कोई अकेला मामला नहीं है। जितने भी आयोगों का गठन होता है, लगभग सबके साथ कमोबेश यही स्थिति है। एक ताज़ा उदाहरण के रूप में लिब्रहान आयोग को लिया जा सकता है। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उक्त आयोग का गठन किया गया था, पर अपने ऊपर इतने खर्चे होते देख आयोग को खुद ही शर्म आ गई और उसने कहा कि इसे बंद कर दिया जाये।

पेज 1 का शेष

गिरफ़्तारी कानून राठौरों के लिये अलग

अब इसी केस में देखिये दूसरा कमाल! 10 साल बाद यहां एक नालायक एसपी रणबीर शर्मा का लगना हो गया। उसने इसी केस में 5.10.02 को संपादक को उठा कर गिरफ़्तारी डाल दी। जिस अदालत में पेश किया गया, उसे न तो कुछ पढ़ने की जरूरत थी, न सुनने की, नालायक एसपी का हुकुम बजाते हुए संपादक को सीधे 15 दिन की न्यायिक हिरासत में सोनीपत जेल भेज दिया।

पूरे पांच साल अदालतों में घिसटने के बाद भी जब पुलिस कोई सबूत पेश नहीं कर पाई तो मजबूरन कोर्ट को केस डिसचार्ज करना पड़ा, क्योंकि पुलिस मुकदमें में आरोप तक तय कराने में विफल रही। इसी के साथ रणबीर ने हरिजन एक्ट के तहत भी एक मुकदमा नंबर 813 थाना सेंट्रल में दर्ज करा कर संपादक को गिरफ़्तार कर के 15 दिन के लिये जेल भेज दिया था। लेकिन चार साल बाद ट्रायल कोर्ट के आदेश पर दोबारा तफ़्तीश करने पर सारा मुकदमा ही झूठा पाया गया, लेकिन संपादक तो 15 दिन भीतर रह आया।

इसी तरह दिनांक 19.8.01 को भी रणबीर ने संपादक के विरुद्ध एक मुकदमा नंबर 565 थाना सेंट्रल में सुबह चार बजे दर्ज कर के तीन घंटे बाद उन्हें गिरफ़्तार भी कर लिया। उसे कोई सबूत काबिले गिरफ़्तारी गुज़ारने की जरूरत नहीं थी। इस देश के दुर्भाग्य की बात तो यह है कि न केवल सैशन कोर्ट ने बल्कि हाई कोर्ट तक ने एसपी के इस कुकृत्य पर मुहर लगा दी। 55 दिन जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल पाई।

संपादक को तो जमानत मिल गयी, लेकिन उस एसपी को तो किसी ने पूछा नहीं, लिहाज़ा संपादक के विरुद्ध दिनांक 12.11.01 को इसी थाने में एक और मुकदमा नंबर 749 दर्ज करा दिया गया और डेढ़ महीने, जब तक सैशन जज प्रीतम पाल ने अग्रिम जमानत मंजूर नहीं कर ली, रणबीर के अलसेशन कुत्ते संपादक को खोजते-खोजते पागल हो गये थे। ऐसा इसलिये हुआ था क्योंकि सैशन जज ने संपादक को राठौर की भांति अंतरिम जमानत देने की जरूरत नहीं समझी थी। इन दोनों मुकदमों में पुलिस कोई भी सबूत अदालत में पेश नहीं कर पाई और संपादक छः साल बाद बरी हो गया।

इतना ही नहीं, उक्त मुकदमें में जमानत होने के तुरंत बाद एसपी ने दिनांक 24.12.01 को एक और हत्या का मुकदमा नंबर 781 थाना शहर बल्लबगढ़ में दर्ज करा दिया। इस सारे मामले की सच्चाई से पूरी तरह वाकिफ़ होने के बावजूद भी सैशन कोर्ट अग्रिम जमानत देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई तो बड़ी मुश्किल से हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत मंजूर की। जब मामला सैशन कोर्ट में सुनवाई पर आया तो पुलिस के पल्ले आरोप तय कराने लायक सबूत भी नहीं थे, लिहाज़ा कोर्ट ने बिना मुकदमा चलाये ही मुकदमा समाप्त (डिसचार्ज) कर दिया।

उस वक्त हरियाणा में चौटाला तथा देश में भाजपा सरकार के चलते कुछ अख़बारों ने इस मामले को उठाने का साहस भी दिखाया था। नीचे से ले कर ऊपर तक के प्रत्येक अधिकारी एवं न्यायालय को उक्त अत्याचारों से भली-भांति अवगत भी कराया गया था, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इसके परिणामस्वरूप रणबीर एक के बाद एक झूठे मुकदमें दर्ज करता रहा।

उक्त उदाहरण कोई अपवाद नहीं है। इस तरह के कांड लगभग हर रोज़ और हर ज़िले में हो रहे हैं, जिनकी ओर से अधिकारी तो आंखें मींचे बैठे ही हैं, न्यायालयों का उनसे भी बुरा हाल है। इन हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि आज देश में मानवाधिकारों का हनन करने वाली कोई संस्था है तो वह स्वयं न्यायपालिका ही है।

रेड क्रॉस के नाम पर खुली लूट व गुंडागर्दी

लेकिन इन्हें पकड़ने के दौरान पुलिस ने करीब 60 वाहनों के दस्तावेज़ उनसे बरामद कर लिए और कहा कि संबंधित वाहन मालिकों को वे दस्तावेज़ स्वयं दे देंगे। ज़ाहिर है, इससे गुंडा गिरोह की वह लूट मारी गई जो उसने उन वाहन मालिकों से वसूलनी थी। इसके अलावा पुलिस ने सीआर.पीसी. की धारा 107/150 के कलंदरे बना कर एसडीएम कार्यालय भेज दिये। रेड क्रॉस सूत्रों से पता चला है कि पुलिस ने उपायुक्त को लिखे एक पत्र में गुंडों के इस ठेके को बंद करने की भी सिफ़ारिश की है। लेकिन लगता नहीं उपायुक्त इतना साहस जुटा पायेंगे। विदित है कि गत 5 वर्षों से इस गिरोह की गुंडागर्दी के अनेकों लोग़ शिकार हो चुके हैं जिनमें से दो की तो मौत भी हो गई, पुलिस ने बाकायदा इन पर मुकदमे भी दर्ज किये थे और इनका ठेका भी समाप्त करा दिया था। लेकिन इसके बावजूद यह फ़िर से ठेका प्राप्त करने में कामयाब रहा। जानकार बताते हैं कि राममेहर सीएम से जा कर मिला तो उन्होंने कहा कि एसपी ने ठेका दिलाने से मना करा दिया है। इस पर राममेहर ने कहा कि "एसपी बड़ा है या तू? जब तेरे बस का एक एसपी भी नहीं तो क्यां का सीएम बन्या फिरै स? इसा ए तेरा बाप बोगस था इसा ए बोगस तूं स। इब कै तू बडयो गाम मै जिब देखांगे तैने।" बस इतना सुनते ही सीएम की सिट्टी-पिट्टी गुम और राममेहर का ठेका चालू।

यहां गौरतलब यह है कि राममेहर ने अपनी गुंडागर्दी व लूटपाट के लिए रोहतक, सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी आदि सब ज़िले छोड़ कर फ़रीदाबाद को ही क्यों चुना? जाहिर है, जैसी बोगस यहां की जनता वैसे ही बोगस यहां के नेता, वरना रोहतक आदि में यह अपनी गुंडागर्दी एक दिन भी कर के तो दिखाये, जनता मार-मार कर इसका हुलिया बदल दे।